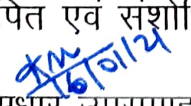
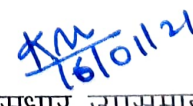


ब न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बरही, हजारीबाग
दाखिल खारिज अपील वाद संख्या 05/2020
रेखा देवी —बनाम—राज्य

तारिख	—आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर:—	अभियुक्ति
	आवेदिका रेखा देवी पति नकुलदेव सिंह, ग्राम हारपुर, ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन समर्पित किया है कि मौजा—हारपुर, थाना—चौपारण, थाना नं०-73, जिला— हजारीबाग के अन्तर्गत खाता नं० 12, में कुल प्लॉट 120 कुल रकबा 2.87.66 ए० बिक्रय पत्र सं० 1390/1377 दिनांक 25.05.2018 द्वारा बिक्रेता अजय सिंह वगैरह से भूमि क्रय की गयी है, जिसपर आवेदिका का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। प्रश्नगत भूमि की दाखिल खारिज हेतु आवेदिका द्वारा अंचल अधिकारी, चौपारण में ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया गया था जिसके आलोक में दाखिल खारिज वाद सं० 1R27/2019-20 द्वारा अंचल अधिकारी, चौपारण ने दाखिल खारिज को अस्वीकृत कर दिया। अंचल अधिकारी द्वारा अस्वीकृति का कारण राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन के अनुसार खेसरा का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है। राजस्व उप निरीक्षक आवेदक से सम्पर्क स्थापित कर दस्तावेजों की जांच कर आवश्यक ऑनलाईन प्रविष्टि कराकर पुनः आवेदन करायें। आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। अंचल निरीक्षण का मंतव्य प्लॉट अपलोड के उपरान्त नामांतरण की अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है। आवेदिका रेखा देवी पति नकुलदेव सिंह, ग्राम हारपुर, द्वारा क्रय की गयी भूमि मौजा—हारपुर, थाना—चौपारण, थाना नं०-73, जिला— हजारीबाग के अन्तर्गत खाता नं० 12, में कुल प्लॉट 120 कुल रकबा 2.87.66 ए० का खेसरा की ऑनलाईन प्रविष्टि का दायित्व स्वयं अंचल अधिकारी का ही है तथा एक बार दाखिल खारिज आवेदन अंचल अधिकारी द्वारा अस्वीकृत करने के पश्चात पुनः आवेदन करने संबंधी आदेश देने का औचित्य ही नहीं है। अतएव अंचल अधिकारी चौपारण को आदेश दिया जाता है कि आवेदिका से सम्पर्क कर प्रश्नगत भूमि के दाखिल खारिज हेतु जांचोपरान्त एवं नियमानुसार खेसरा की ऑनलाईन प्रविष्टि करते हुए दाखिल खारिज की कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय। लेखापित एवं संशोधित  भूमि सुधार उपसमाहर्ता बरही, (हजारीबाग)  भूमि सुधार उपसमाहर्ता बरही, (हजारीबाग)	